क्रूरता की पराकाष्ठा : गला रेतने के बाद सिर पर हथौड़े से भी किए थे ताबड़तोड़ वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जिस मां ने उसे जन्म दिया और जो मासूम पिता की गोद में खेले वह इतना निर्दयी भी हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। मां-पत्नी और दोनों बच्चों का गला काटने के बाद नरेंद्र साहू ने उनके सिर पर भी हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए थे। उसके बाद घर में ताला लगाकर सुबह आठ बजे अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया था। खुदकुशी करने के पहले नरेंद्र ने अपने जीजा को फोन कर चौपड़ाकलां पर आकर मिलने को बोला था। नरेंद्र के फोन में यह आखिरी नंबर ही मौत के बाद उसकी शिनाख्त करने में काम आया। ट्रैक के पास ही उसकी बुलेट मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली।

हत्या करने के बाद सुबह आठ बजे बाइक लेकर घर से निकला था नरेंद्र



मां-सरस्वती | नरेंद्र साहू | पत्नी-सोमलता | बेटी-कीर्ति | बेटा-कुश

नरेंद्र के परिवार में अब उसका छोटा भाई महेंद्र और बहन मधुसिंह बची है। महेंद्र इंदौर में निजी काम करता है। शादी के बाद मधु अपने परिवार के साथ रहती है। अभी तक की पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि वर्तमान में नरेंद्र आष्टा में एक रिजार्ट में कुक का काम कर रहा था, लेकिन 15 दिन से वह काम पर भी नहीं जा रहा था। उसने एक वर्ष पहले छोला इलाके में पार्टनरशिप में एक रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन उसमें काफी घाटा हो गया था। इससे वह लगभग 40-50 लाख के कर्ज में फंस चुका था। उसे चुकाने के लिए नरेंद्र ने अपनी कार और ग्राम खेजड़ा का मकान भी बेच दिया था। उसके बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलने पर वह अवसाद में जाने लगा था। इसी कड़ी में उसने सब कुछ खत्म कर लेने का क्रूर फैसला कर लिया।

अपनों को मौत के घाट उतारने के बाद वह सोमवार सुबह बड़े इत्मिनान से बाइक से घर से निकला। सुबह आठ बजे कालोनी में लगे सीसीटीवी में वह सुबह आठ बजे बाइक से जाते हुए दिख रहा है। चौपड़ाकलां पहुंचने के बाद नरेंद्र ने बहनोई दीपकसिंह को फोन करके चौपड़ाकलां आने को बोला था। दीपकसिंह जब चौपड़ाकलां पहुंचा, तो नरेंद्र उसे नहीं दिखा। फोन लगाने पर नरेंद्र ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद दीपक नरेंद्र के घर पहुंचा। घर में ताला लगा होने के कारण वह वापस लौट गया। इस बीच दीपक के पास सूखी सेवनिया थाने से फोन पहुंचा और एक शव की पहचान करने के लिए आने को बोला। दीपक का मोबाइल नंबर नरेंद्र के फोन में गई मिस्ड काल के माध्यम से पुलिस को मिला था। जांच-पड़ताल के लिए पुलिस जब नरेंद्र के घर पहुंची, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आ गया। कमरे में एक बिस्तर पर मां-बेटा खून से लथपथ पड़े हुए थे। दूसरे बिस्तर पर दादी और पोती के शव पड़े हुए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को खून से सना धारदार चाकू के साथ ही एक खून लगा हथौड़ा भी मिला। जिससे गला रेतने के बाद नरेंद्र ने अपनों के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पीसी शर्मा की याचिका खारिज



- हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
- भोपाल दक्षिण-पश्चिम सीट का निर्वाचन बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही श्र्भ सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देने की कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो गई और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला अंतिम हो गया।

श्री सबनानी 3 दिसंबर 2023 को इस सीट से निर्वाचित हुए थे। उन्हें 76,689 मत मिले थे, जबकि पीसी शर्मा को 60,856 मत प्राप्त हुए थे। जीत का अंतर 15,833 मतों का था। श्री शर्मा ने निर्वाचन के खिलाफ जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर का आरोप लगाया था। उनका आरोप मतगणना के दौरान ईवीएम की बैटरी के स्तर के आधार पर था।

उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2025 को चुनाव याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी थी। अदालत ने पाया था कि याचिका में ईवीएम तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्ट आचरण का विशिष्ट आरोप नहीं था। कथित छेड़छाड़ के स्थान, तरीके और परिणाम पर प्रभाव का भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय में पीसी शर्मा की ओर से तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और सीसीटीवी फुटेज विचारण के दौरान आरोपों को साबित करने में मदद कर सकता था। श्री सबनानी की ओर से कहा गया कि चुनाव याचिका में आवश्यक तथ्य और कथित गड़बड़ी का स्पष्ट विवरण नहीं था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर छह माह का सश्रम कारावास

- अरमान उर्फ अरमान डॉक्टर पर एक हजार रुपये का जुर्माना
- न्यायालय ने सुनाया फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी अरमान उर्फ अरमान डॉक्टर को न्यायालय ने छह माह के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय 31 अक्टूबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सिंह यादव ने सुनाया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज भार्गव ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को हनुमानगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला बदर आरोपी अरमान डॉक्टर अग्रवाल तिराहे के पास खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर पूछताछ की।

आरोपी ने बताया कि पुलिस आयुक्त भोपाल के आदेश पर 30 जून 2025 को उसे भोपाल सहित विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद था।

पुलिस ने हनुमानगंज थाने में अपराध क्रमांक 382/2025 के तहत राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 में मामला दर्ज कर विवेचना की। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य, तर्क और दस्तावेजों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।



ऑल सोल्स डे बैरागढ़ ग्रेवियाडर्स में क्रिश्चियन समाज द्वारा ऑल सोल्स डे मनाया गया, जिसमें मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। धर्मावलंबियों ने मोमबत्ती जलाकर प्रियजनों की कब्र को फूलों से सजाया

कार की टक्कर से दंपती सहित तीन की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सूखी सेवनिया थाना इलाके में सोमवार दोपहर बाइक सवार तीन लोगों को विपरीत दिशा से आ रही कार ने टक्कर मार दी। बालमपुर घाटी पर हुए इस भीषण हादसे में बाइक सवार महिला सहित तीनों लोगों की मौत हो गई। इनमें से पति-पत्नी भोपाल के रहने वाले थे। तीसरा युवक रेहटी, जिला सीहोर का रहने वाला था। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। सूखी सेवनिया थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि बाइक सवार विदिशा की तरफ से आ रहे थे, जबकि कार विदिशा की ओर जा रही थी। दोपहर लगभग दो बजे बालमपुर घाटी पर दोनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चेक करने के बाद डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बालाजी नगर, ग्राम खजूरीकलां निवासी 50 वर्षीय राजकुमार साहू, उनकी पत्नी 40 वर्षीय माया साहू एवं ग्राम चिचोली, रेहटी जिला सीहोर निवासी 35 वर्षीय सोनू पुत्र रामभरोसे साहू के रूप में हुई। बताया जाता है कि सोनू, राजकुमार का दामाद था। परिवार के लोगों के बयान नहीं हो पाने के कारण अभी यह पता नहीं चल सका है कि ये लोग कहां से आ रहे थे।

बीच बाजार में अवैध रूप से बेच रहे थे पटाखे

नप्र, भोपाल : त्यौहारो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार को कोतवाली थाना इलाके में भीड़-भाड़ वाले बाजार में अवैध रूप से पटाखा बेचने वाले कारोबारियों की धरपकड़ की। इस दौरान तीन लोगों के पास से 6,18,000 रुपये की आतिशबाजी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अपाला सिंह को सूचना मिली कि पुराने शहर बाजार के अंदर भीड़भाड़ बस्ती में विस्फोटक सामग्री पटाखे बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर कोतवाली बाजार में 42 वर्षीय धनराज भटेजा, 22 वर्षीय अल्ताफ अनवर एवं 40 वर्षीय सुनील भटेजा के पास से लगभग एक ट्रक पटाखे बरामद किए।

भाजपा की पदयात्रा के मार्ग पर कांग्रेस को आपत्ति

नप्र, भोपाल : राजधानी में 4 नवंबर को प्रस्तावित भाजपा की पदयात्रा को लेकर यातायात और व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। पदयात्रा अटल पथ से रोशनपुरा चौराहे तक निकाली जानी है। इसे लेकर भोपाल के अभिनव बरोलिया माली ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मार्ग बदलने या पदयात्रा स्थगित करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि पदयात्रा के अगले दिन धनतेरस है। ऐसे में न्यू मार्केट, जवाहर चौक और आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्राहकों के पहुंचने की संभावना है।

रेलवे स्टेशन की पार्किंग से नौ दिन में चोरी कीं चार एक्टिवा



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नशे की लत पूरा करने के लिए एक युवक ने भोपाल रेलवे स्टेशन की पार्किंग से सफेद रंग की एक्टिवा वाहन चुराना शुरू कर दिया। उसने मात्र नौ दिन में चार स्कूटर चोरी कर लीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चोरी के चारों वाहन बरामद कर लिए। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान के मुताबिक 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच रेलवे स्टेशन की पार्किंग से चार सफेद रंग की एक्टिवा चोरी चली गईं। इसके बाद आररपीएफ के साथ संयुक्त टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर लगे लगभग 200 सीसीटीवी के फुटेज से रूट मैप बनाकर पुलिस आरोपी युवक के घर तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान सुल्तानिया रोड भोईपुरा निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद मुजाहिद के रूप में हुई। नशे के आदी मुजाहिद से अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है।

सरे बाजार पर्स के अंदर रखी सोने की चेन चोरी

भोपाल नईदुनिया प्रतिनिधि

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में चोर-उचक्के भी सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों व्यस्त हमीदिया रोड पर एक व्यापारी के कार चालक को चकमा देकर तीन लाख की चोरी का मामला अभी सुलझा नहीं है।

इधर कोतवाली में सरे बाजार एक बुजुर्ग महिला के पर्स के अंदर रखा बटुआ चोरी कर लिया गया। बटुए में सोने की चेन और नकदी रखी थी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक 62 वर्षीय रविकांता पत्नी राजकुमार जैन भानपुर क्षेत्र में रहती हैं। वह रविवार को पति के साथ अपनी एक सोने की चेन की मरम्मत करवाने के लिए लखेरापुरा बाजार आई थीं।

सोने की चेन एक छोटे में बटुए में रखी थी। बटुआ उन्होंने अपने पर्स के अंदर रखा था। वह एक ज्वेलर्स के पास गईं, लेकिन सौदा नहीं पटने के कारण वह वापस आ गई और दूसरी दुकान में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पर्स की चेन खुली हुई थी। उसमें रखा उनका बटुआ गायब था। उसने सोने की चेन के अलावा 1500 रुपये भी रखे थे।

छह दिन पहले व्यापारी के तीन लाख हुए थे चोरी

बता दें कि 27 अक्टूबर को दिनदहाड़े फर्नीचर कारोबारी कमल मित्तल की कार के चालक को चकमा देकर दो युवक कार में रखा बैग लेकर चंपत हो गए थे। कार में तीन लाख रुपये और जरूरी दस्तावेज रखे थे। व्यस्त हमीदिया रोड पर हुई इस वारदात के कुछ देर बाद मित्तल का बैग इतवारा क्षेत्र में लावारिस पड़ा मिल गया था, लेकिन उसमें से रुपये गायब थे। इस मामले में पुलिस को अभी तक आरोपियों को कोई सुराग नहीं लग सका है।

श्रमायुक्त के प्रतिनिधि ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

बोनस और समय पर वेतन की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस और समय पर वेतन भत्ते का भुगतान करने की मांग को लेकर सोमवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया।

आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संरक्षक अनिल बाजपेई, प्रांताध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया, अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष गजेंद्र कोठारी के नेतृत्व में कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उप श्रमायुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि श्रमायुक्त के आदेशों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों और नियोक्ताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधि ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। कर्मचारी नेताओं ने एजेंसियों और नियोक्ताओं को चेतावनी दी कि यदि दीपावली से पहले वेतन भत्ते और बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रबंधन की अर्थी निकालकर पुतला दहन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों और नियोक्ताओं की होगी। प्रदर्शन में अरुण वर्मा, अनिल बाजपेई, आशीष सिंह सिसोदिया, सुरसरी पटेल, अखिलेश पानडोले और चेतन सोनी सहित विभिन्न निगमों, मंडलों, बोर्डों, परिषदों, सहकारी संस्थाओं, प्राधिकरणों और आयोगों के कर्मचारी तथा महिला प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सफाईकर्मियों का प्रदर्शन आज, मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल

- नीलम पार्क में प्रदेशव्यापी धरना
- 8 से 10 हजार कर्मचारियों के शामिल होने का अनुमान
- वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश के सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारी वर्ग की लंबित मांगों को लेकर 3 नवंबर को नीलम पार्क में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर 4 नवंबर से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले होने वाले प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 8 से 10 हजार सफाईकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के शामिल होने का अनुमान है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोट ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि, नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

सोमवार को सरकारी कचरा गाड़ियों के माध्यम से प्रदर्शन का प्रचार कराया गया। इसकी शिकायत निगम अधिकारियों तक पहुंची है। बताया गया कि कर्मचारी यूनियन के आंदोलन का प्रचार सरकारी कचरा गाड़ियों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों से नहीं किया जा सकता।

प्रदेश अध्यक्ष झांझोट ने कहा कि सफाई कर्मचारी वर्षों से शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों का उचित निराकरण नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की।

आयुष कॉलेजों की रिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर,आज से स्ट्रे वैकेंसी राउंड

मध्यप्रदेश संचालनालय आयुष ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्ट्रे वैकेंसी राउंड-1 (स्टेट कोटा) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पात्र नीट यूजी-2026 अभ्यर्थी 3 से 5 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। कार्यक्रम के अनुसार दस्तावेज सत्यापन 4 से 6 नवंबर तक होगा। मेरिट सूची 7 नवंबर को जारी की जाएगी, जबकि चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 8 से 11 नवंबर तक चलेगी। महाविद्यालयवार मेरिट सूची 14 नवंबर को जारी होगी। अभ्यर्थियों को 16 और 17 नवंबर को महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होगी। अस्थायी प्रवेश 18 नवंबर को होगा। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्र संघ तथा भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री, चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉ. हरेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयुष चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश से वंचित पात्र विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है।

ऐशबाग के 600 जर्जर मकान 14 नवंबर से तोड़े जाएंगे

- हाउसिंग बोर्ड ने रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने का दिया अंतिम नोटिस
- पुनर्विकास के तहत बनेंगे आधुनिक बहुमंजिला आवास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के ऐशबाग स्थित मप्र हाउसिंग बोर्ड के 600 जर्जर ईडब्ल्यूएस मकानों को 14 नवंबर से तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड ने रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली कर सामान हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया है। इन मकानों में रहने वाले करीब 490 लोगों को अनधिकृत कब्जेदार बताया गया है, जबकि 110 वैध मूल आवंटी हैं।

हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, केवल वे वैध आवंटी किराया राशि के पात्र होंगे, जो मकान खाली करने के लिए कार्यालय में सहमति पत्र जमा करेंगे। पात्र आवंटियों को मकान खाली करने के बाद कलेक्टर दर के अनुसार मासिक किराया दिया जाएगा। अनधिकृत रूप से रहने वालों को किराया या मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐशबाग के इन मकानों को नगर निगम ने मई 2016 में ही जर्जर और खतरनाक घोषित कर दिया था। वर्ष 2018 में भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मकान खाली नहीं हुए। अब तय समय-सीमा के बाद पुलिस और नगर निगम के अमले की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण किया जाएगा। मध्यप्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत हाउसिंग बोर्ड इस क्षेत्र का पुनर्विकास करेगा। जर्जर मकानों की जगह आधुनिक सुविधाओं वाले बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। वैध आवंटियों को वर्तमान मकान से 20 प्रतिशत बड़े नए फ्लैट दिए जाएंगे। निर्माण अवधि में निर्धारित किराया सीधे उनके खातों में जमा किया जाएगा। प्रशासन ने रहवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए घर-घर संपर्क अभियान और विशेष शिविर भी लगाए हैं। अधिकारियों ने निर्धारित समय-सीमा में मकान खाली करने की अपील की है।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.)

सार्वजनिक उद्घोषणा

क्रमांक 2426/भू-अर्जन/2026-27 **रायसेन, दिनांक 16/09/2026**

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी 'आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014' के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम पिपलाई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन में प्रस्तावित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक निजी भूमि को संबंधित भू-स्वामियों की आपसी सहमति से क्रय किए जाने की कार्यवाही इस कार्यालय में प्रचलित है। संबंधित भू-स्वामियों से सहमति-पत्र प्राप्त किए जाने तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेख, नक्शा एवं गणना पत्रक के आधार पर प्रभावित भूमि का विवरण निम्न अनुसूची में प्रकाशित किया जा रहा है।

अतः अनुसूची में वर्णित संबंधित भू-धारकों, सह-खातेदारों, वारिसों तथा अन्य किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि प्रस्तावित भूमि के स्वत्व, स्वामित्व, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, कब्जे, बंधक, भार, ऋण, विक्रय/हस्तांतरण, न्यायालयीन विवाद, उत्तराधिकार अथवा किसी अन्य अधिकार/हित के संबंध में कोई दावा या आपत्ति हो, तो वह इस सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर अपने दावे/आपत्ति के समर्थन में आवश्यक प्रमाणित अभिलेखों सहित कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग रायसेन में कार्यालयीन समय में लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे।

निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत सहमति-पत्रों के आधार पर यह मानते हुए कि प्रस्तावित क्रय के संबंध में कोई आपत्ति शेष नहीं है, प्रचलित नीति एवं नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

क्र.	भू-स्वामी	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	शायरा बी पति श्री रशीद खाँ	पिपलाई	38,39,49	0.328	0.0600	ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु पहुंच मार्ग निर्माण
2	अनीस खाँ आ. श्री अब्दुल गनी खाँ	पिपलाई	50/1, 51/1/1, 54/1/1/1	0.041	0.0310	ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु पहुंच मार्ग निर्माण
3	रेहाना सलीम पति श्री मो. सलीम	पिपलाई	54/1/1/2	0.006	0.0060	ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु पहुंच मार्ग निर्माण
4	भूरा खाँ आ. श्री अब्दुल गनी खाँ	पिपलाई	54/1/2	0.0640	0.0016	ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु पहुंच मार्ग निर्माण
5	जावेद खाँ आ. श्री आबिद खाँ	पिपलाई	56/1/4	0.328	0.1140	ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु पहुंच मार्ग निर्माण
6	अख्तर खाँ आ. श्री गौर खाँ	पिपलाई	56/1/1	0.121	0.0320	ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु पहुंच मार्ग निर्माण
7	गफ्फार खाँ आ. श्री अजनी खाँ	पिपलाई	62/3	0.040	0.0100	ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु पहुंच मार्ग निर्माण
			कुल क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा		0.2546	हेक्टेयर

भूमि का नक्शा, गणना पत्रक, संबंधित राजस्व अभिलेख एवं उपलब्ध सहमति-पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग रायसेन में कार्यालयीन दिवस एवं समय में देखे जा सकते हैं।

यह उद्घोषणा संबंधित ग्राम में मुनादी, ग्राम पंचायत/तहसील/कार्यालय के सूचना-पटल पर चस्पा तथा अन्य उपयुक्त माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जारी की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला रायसेन (म.प्र.)

जी-20900/26